UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No.402-404

व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES

डॉ. संजय जौहरी
प्राध्यापक वाणिज्य, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,महू जिला इन्दौर

प्रस्तावना :–
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा भारत के लिए नयी नहीं है। महात्मा गांधी ने न्यासिता के सामाजिक आर्थिक दर्शन में भी व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व का समर्थन किया था। भारत में कई दशकों से टाटा बिडला व्यावसायिक घरानों द्वारा भी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। सरकार एवं उद्योग की सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश का सामाजिक–आर्थिक विकास तेजी से करें।

यूनाईटेड नेशन एवं यूरोपियन कमीशन के निर्देशानुसार व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व का उद्देश्य लाभ, पर्यावरण का संरक्षण एवं सामाजिक न्याय के लिये लड़ाई करना। यह आशा की जाती है कि सभ्य समाज सरकार कारोबारी क्षेत्र एक साथ मिलकर समाज की भलाई करें। सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों– सीएसआर के लिए मानक निर्धारित करें। निजी क्षेत्र – सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये फंड निर्धारित करें एवं उसका उचित उपयोग करें। एक जनसंख्यकीय संक्रमण भारत में चल रहा है। देश की 125 करोड़ आबादी का आधा हिस्सा हमारे युवा–प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दशक से भी कम समय में हमारी जनसंख्या दुनियां में सबसे बड़ी कामकाजी जनसंख्या होगी। भारत की युवा आबादी देश के लिए लाभांश बन सकते हैं, उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सीएसआर एक महान विचार है। निःस्वार्थ द्वारा किये गये कार्य से अच्छाईयां उत्पन्न होती हैं। एक कुशल गुरू ने कहा है– कि मुद्रा के बारे में प्रमुख तथ्य यह है कि – अच्छे लोगों के हाथ में पैसा बढ़ता है और अधिक पैसा उत्पन्न होता है। समावेशी विकास हमारे सार्वजनिक नीति का उद्देश्य है, हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सरकार और कारपोरेट क्षेत्र की गहन सहयोगात्मक प्रयासों के लिये कहता है।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :–
भारतीय कंपनी 2013 के अर्न्तगत कंपनी को शुद्धलाभ का एक हिस्सा–सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करना होगा। इस हेतु कंपनी का संचालन मण्डल, कम से कम तीन संचालक, जिसमें एक स्वतंत्र संचालक होगा, को शामिल करते हुए एक ''निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति'' का गठन करेगा। यह गठन और इस धारा के उपबन्ध निम्न कंपनियों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे :–

1. वह कंपनी, जिसका मूल्य 500 करोड़ या इससे अधिक हो।
2. वह कंपनी, जिसका वार्षिक विक्रय आवर्त 1000 करोड़ रूपये या इससे अधिक हो।
3. अथवा वह कंपनी, जिसका शुद्धलाभ 5 करोड़ रूपये या इससे अधिक हों। इन कंपनियों के लिए तुरन्त के पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर क्रियाओं पर खर्च करना होगा।

कंपनी द्वारा गठित की गई सीएसआर समिति, सीएसआर के पालन में निम्नलिखित कार्य करेंगी –

- भूख और गरीबी उन्मूलन
- शिक्षा का विस्तार
- स्त्री पुरूष समानता को प्रोत्साहन एवं स्त्री सशक्तीकरण

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No.402-404

- शिशु मृत्यु दर कम करना
- मलेरिया एवं अन्य बीमारियाँ दूर करना
- वातावरण संरक्षण करना
- रोजगार वृद्धि के लिए तकनीकों का विकास करना
- सामाजिक व्यवसाय में सम्बन्धित प्रोजेक्ट
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्प संख्यकों एवं स्त्रीयों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सरकार को योगदान देना।

कुछ कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. सम्बन्धी पहल :–

भारतीय उद्योग समाज की भलाई के लिए योगदान करने में एक गहरी रूचि प्रदर्शित करता है। इस तारतम्य में कुछ आद्योगिक घरानों द्वारा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।

- भारत पेट्रोलियम, कार्पोरेशन इण्डिया, मारूति सुजूकी लिमिटेड, यूनिलिवर लिमिटेड, गावों के समग्र विकास के लिये गावों को गोद ले रही है। इस हेतु स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्कूल, मकान व्यवसायिक एवं वाणिज्य कौशलता को विकसित कर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं।
- रिलायंस इण्डस्ट्रीज ने ''दृष्टि'' प्रोजेक्ट की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्र में की है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दृष्टि बाधित को दृष्टि प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 5000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। स्वास्थ्य परीक्षण, जागरूकता के लिए सीएसआर के माध्यम से सेवाऐं प्रदान कर रही है।
- आदिवासियों के स्वास्थ्य जीवन एवं स्वास्थ्य जागरूकता के लिए ग्लेक्सोस्मिथलाईन औषधी कंपनी द्वारा, स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
- टाटा स्टील ग्रामीण विकास समिति का उद्देश्य कृषि उत्पादकता एवं कृषक के जीवनयापन में सुधार करना।

भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की चुनौतियाँ :–

वर्ष 2013 के कंपनी अधिनियम के अर्न्तगत यह अनिवार्य है कि कंपनी अपने कर पश्चात् लाभ का दो प्रतिशत हिस्सा कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में खर्च करेगी। आलोचकों ने इसे पिछले दरवाजे से लगाया कर करार दिया। जबकि तथ्य यह है कि कर तो सरकार के संग्रह में जाता है, जबकि यह राशि सैद्धांतिक तौर पर उन गतिविधियों को समर्पित है जो व्यापक जनता के हित में है। भारत में लगभग 8000 कंपनियां हैं, जिनमें निजी एवं सार्वजनिक कंपनियाँ शामिल हैं। व्यावहारिक रूप से सी.एस.आर. लागू करना बड़ी चुनौती है।

1. सी.एस.आर. – गतिविधि में समाज की भागीदारी का योगदान कम है। सामान्य जनता की सामाजिक उत्तरदायित्व में रूचि कम है। जनता एवं कंपनियों में सम्प्रेषण की कमी है।
2. अनेक कंपनियां, जिनके पास संसाधनों के बड़े–हिस्से का प्रतिनिधित्व हो वे अपना–अपना पैसा निजी स्तर पर खर्च करती हैं, और इस दौरान वे उल्लेखनीय कार्य करती हैं, लेकिन वे जिस पैमाने पर ऐसा करती हैं, वह बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ पाने में सक्षम नहीं हैं। इस दौरान सक्षमता और किफायत की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये गतिविधियां पूरी तरह उनके क्षेत्र के बाहर की होती हैं। इतना ही नहीं चूँकि उनमें से प्रत्येक के हर वर्ष लाभ कमाने की भी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिये उनके द्वारा की जाने वाली पहल पर हर वर्ष नगदी के संकट का जोखिम भी मंडराता है।

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No.402-404

3. स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता है, कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण तरीके से चला सके।
4. स्थानीय ऐजेंसी में पारदर्शिता का अभाव है, स्थानीय ऐजेंसियां प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यक्रम की सूचनाऐं प्रदर्शित नहीं करती हैं। फण्ड के उपयोग अंकेक्षण मूल्यांकन आदि के प्रति जागरूक नहीं होती है।
5. सक्षम गैर सरकारी संगठन उपलब्ध नहीं हो पाते जो दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की आवश्यकतानुसार कार्य कर सकें।
6. भारत में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के स्पष्ट दिशा निर्देश का अभाव है।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रभावशली बनाने के लिए सुझाव :–

1. अवधारणात्मक रूप से सुझाव है कि सबसे पहले जो भी व्यवस्था की जाए उसमें व्यय के समेकन के लिए अवसर होना चाहिए। कंपनियों को यह इजाजत होनी चाहिए कि वे अपने सहयोग को समान उद्देश्य पर खर्च के लिये इकट्ठा कर सकें। सी.एस.आर. योजना को व्यापक पैमाने पर संचालित किया जाए।
2. सी.एस.आर. कार्यक्रमों को संस्थागत रूप से और विशेषज्ञों की देखरेख में चलाया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फण्ड का सही और समुचित उपयोग हो।
3. कंपनियों के कम मुनाफे के दौर में फण्ड की कमी हो सकती है जिसके कारण वित्तीय संकट हो सकता है। इस संकट को दूर करने के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी पर जोर देना चाहिए। सरकार को बजट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर इस संकट को दूर किया जा सकता है।
4. जनता में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए मीडिया की भागीदारी भी होनी चाहिए।
5. यह देखने में आया है कि बड़ी कंपनियां ही सी.एस.आर. गतिविधियों में संलग्न हैं, मध्यम एवं लघु कंपनियों को भी इन गतिविधियों के लिये प्रेरित करना चाहिए।
6. व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विषय को शामिल करना चाहिए। छात्रों में इसके प्रति रूचि जाग्रत करने की आवश्यकता है।

भारत में व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व की पुरानी परम्परा है, सीएसआर की अवधारणा विश्वव्यापी मुद्दा है। सैद्धांतिक से मूर्तरूप देने के लिये जो चुनौतियां हैं उसे सीएसआर में दूर करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता एवं संवाद से सीएसआर को विश्वसनीय बनाया जा सकता है, विविधता और हमारे देश के विभिन्न भागों में विकास के स्तर को देखते हुए सीएसआर सभी क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता। इसके लिये भारत में गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

संदर्भः–

- बिजनेस स्टेण्र्डस
- टाईम्स ग्रुप सर्वे
- गीतारानी, कल्पना हुड़ा – कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी– रिव्यू
- निलेश आर. – कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इश्यू एण्ड चैलेंजेस
- नितिन कुमार – कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इश्यू एण्ड चैलेंजेस
- इकानामिक्स टाइम्स, समाचार पत्र
- बिजनेस भास्कर